प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01230/2024-2025

दिनांक 01/10/2024

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/AUR/08750/2024-2025 पत्रावली संख्या:K-49778 दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **पं० बेटा लाल लक्ष्मीनारायण शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम राहतपुर, पो० व जिला-औरैया, उत्तर प्रदेश 206122, औरय्या , 206122** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 710 दिनांक-30/09/2014 को दिनांक-30/09/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(PARAS NATH GUPTA)
1756590BD7AF2ED7D7389DB73D59BF9E554FB597
Date: 01/10/2024 4:58:01 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-01/10/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।